

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.2.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिव पासवान पिता-मुनेश्वर पासवान ग्राम-गोविन्दपुर पो०-मझीयांवा थाना-कुर्था जिला-अरवल	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
2	उषा देवी पति-अशोक राय ग्राम-नगवा डेरापर पो०-शोरमपुर थाना-जानीपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
3	मंटु कुमार पिता-उमेश राम मो०-बिहार भेटनरी कालेज कैम्पस रोड न०-7, पो०-बी०भी०सी थाना-हवाई अड्डा जिला-पटना	हड्डी रोग	₹ 70,000 /--(सतर हजार) स्वीकृत।
4	मो० मुस्लीम पिता-मो० जहुर आलम ग्राम-सदर गली पो०-झाउगंज थाना-खाजेकला जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
5	शमीमा नाज पति-स्व. मो० जैनुद्दीन ग्राम-आजाद नगर अररिया पो०-थाना+जिला-अररिया	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/16  
25/2/16

6	सुलोचना देवी पति-स्व. श्री महतो ग्राम-हेमनारायण चक पो-रैसा थाना-चण्डी जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,70,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 3,70,000/- (तीन लाख सतर हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....  
...509198..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 26-2-16

ज्ञापांक - 264 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
27.2.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्रद्वीप राय पिता-जंग बहादुर राय ग्राम-चक्दादन पो०+थाना-महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	सुरेन्द्र पाण्डेय पिता-चन्द्रदेव पाण्डेय ग्राम-लोकनाथपुर पो०-कटहा, थाना-मुफसिल जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	अशोक कुमार पिता-राम प्रवेश सिंह ग्राम-विद्यापुरी पो०-लोहियानगर थाना-पत्रकार नगर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।
4	मो. फारुक पिता-मो० जैनुल ग्राम-बिहनगर पो०-विरौल, थाना-पंडौल जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	विशेश्वर सिंह पिता-स्व. राम किशुन सिंह ग्राम-सबौरा पो०-डी०ओ०आर थाना बरौनी जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

25/2/16

6	राम प्रसाद ठाकुर पिता-स्व. नारायण ठाकुर ग्राम+पो0+थाना-घटहो जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रू0 6,95,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,95,000 /- ( छः लाख पनचानवे हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509226.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509226.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 271 (14)

पटना, दिनांक - 26-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.8.2016

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बबन राम पिता-स्व. नथन राम ग्राम-पीठौरी तवकल टोला पो०-पैगम्बरपुर थाना-बनियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	अयोध्या पासवान पिता-स्व. मथुरा पासवान ग्राम-हाजीपुर पो०-मिल्की थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	दीपक कुमार पिता-बिरेन्द्र कुमार मो०-आदर्श कालोनी रोड नं०-1 पो०-सुभाष नगर थाना-रामकृष्ण नगर जिला-पटना	घुटना प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
4	कुमारी अस्मिता पति-बिन्दु कुमार ग्राम-पो०-मनकीपर थाना-कादीरगंज जिला-पटना	अतरी रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
5	राजो यादव पिता-राम किशुन गोप ग्राम-पो०-जोधन बीगहा थाना-बेलछी जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

21/11/16  
22/11/16

6	अनिल कुमार पिता-राम गोविन्द साह ग्राम-पो0+थाना-राजपुर जिला-रोहतास	अतरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
7	बच्चु प्रसाद पिता-चन्द्रेश्वर महतो ग्राम-पो0-डोईया थाना-नुरसराय जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	रूबी देवी पति-गिरिश कुमार श्रीवास्तव ग्राम+पो0-अखिनी थाना-नुआँव जिला-भभुआ, कैमुर	अतरी रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
9	गोपाल शर्मा पिता-भुनेश्वर सिंह ग्राम-पो0-अईयारा थाना-करपी जिला-अरवल	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
10	गौरी शंकर सिंह पिता-स्व. राम प्रसाद सिंह ग्राम-छीत्मा पो0-कोठीया थाना-दीदारगंज जिला पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
11	अवधेश प्रसाद पिता-स्व. भुनेश्वर प्रसाद ग्राम-गोसाई बीगहा पो0-बड़ारा थाना-नुरसराय जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
12	उमेश प्रसाद सिंह पिता-स्व. भुवनेश्वर सिंह ग्राम+पो0+थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
13	मो0 शेख नसीरुद्दीन शाह पिता-मरहुम मो0 शहीद शाह ग्राम-महेषी पो0-तीलकपुर थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
14	शिव बालक यादव पिता-स्व. रामेश्वर यादव ग्राम-गंजपर पो0-थाना-राजगीर जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

15	मालती देवी पति-उग्र मोहन महतो ग्राम+पो0-बाहा चौकी थाना-धरहरा जिला-मुंगेर	हिप रिपलेसेमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
16	रवि कुमार पिता-बबलु सिंह ग्राम-रामपुर पो0-सोना गोपालपुर थाना-गौरीचक जिला-पटना	बोन सर्जरी रोग	₹ ,50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 17,81,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,81,000 / ( सतरह लाख ऐकासी हजार ) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....509225.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक - 268 (14)

पटना, दिनांक - 26-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन )  
21.1.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रभावती देवी पति-सुरेश राम ग्राम+पो०-माधोपुर थाना-जी०वी०नगर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	नर्मदा देवी पति-ध्रुव ज्योति सिंह ग्राम+पो०-चटमाडीह थाना-शंभुगंज जिला बांका	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	मो० सलाउद्दीन पिता-मो० बसरुद्दीन ग्राम-भोगाडी पो०-बिरवा थाना-मझौलीया जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			₹ 2,90,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,90,000/- ( दो लाख नब्बे हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509257 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

21/1/16  
28/1/16



3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.509257.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 269 (14)

पटना, दिनांक - 26-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.2.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम बालक सिंह पिता-स्व. बृज नन्दन सिंह ग्राम-सलेमपुर पो०+थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	मेदनी चौहान पिता-स्व. केशो चौहान ग्राम-अपसढ बेलदरीया पो०-अपसढ थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
3	सुरेश राजवंशी पिता-स्व. कारु राजवंशी ग्राम-एकम्बा पो०-थाना-रजौली जिला-नवादा	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
4	रीता देवी पति-नारस सिंह ग्राम-पो०-मौदह बुजुर्ग थाना-पातेपुर जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,40,000 /-

27/10/16  
28/10/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/-( दो लाख चालीस हजार ) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 809262 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 809262 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 263 (14)

पटना, दिनांक - 26-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21-8-2016

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,

श्री साई, हौस्पीटल

कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.2.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राज बल्लभ प्रसाद पिता-बुलक प्रसाद ग्राम-सुमका पो०-अमरौरा थाना-थरथरी जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
			₹ 1,40,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- ( एक लाख चालीस हजार ) का क्रास चेक सं०.....  
509201.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन  
ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 265 (14)

पटना, दिनांक - 26-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.2.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.02.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जगीया देवी पति-शरण यादव ग्राम-खैरी पो०-महीसोना थाना+जिला-लखीसराय सी.आरनं०-161064 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
2	किरण देवी पति-होरील साह ग्राम-अथरी टोला जगदीशा पो०-अथरी थाना-रुल्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं०-149969 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
3	मो० मोहीउद्दीन पमरीया पिता-नुर मोहम्मद पमरीया ग्राम+पो०-सोनरे थाना लखनौर जिला-मधुबनी सी.आरनं०-120411 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
4	नारायण पासवान पिता-स्व. मुसहर पासवान ग्राम-चकचमेली पो०-सराय थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सी.आरनं०-5519 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

25/2/16

5	श्याम सुन्दरी देवी पति-स्व० सियाचरण यादव ग्राम-बौध बीगहा पो०-छत्तीयाना थाना-मखदुमपुर जिला जहानाबाद सी.आरनं०-62647 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
6	सुशीला देवी पति-योगेन्द्र प्रसाद महतो ग्राम-नक्कीपुर पो०-बैजनाथपुर सिमरीया थाना-कोढ़ा जिला कटिहार सी.आरनं०-143854 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	रीता देवी पति-श्याम नन्दन सिंह ग्राम-बाजीतपुर पो०-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना पंजी०-ओ०पीडी/007178/12 सी	हृदय रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
8	जोहरा खातुन पति-शमशामुल हक ग्राम-बुढ़ा नगर पो०+थाना इस्लामपुर जिला-नालंदा सी.आरनं०-126746 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
9	रजीया खातुन पति-मो० सलाउद्दीन खॉन ग्राम-राजाबाजार पो०-बी० भी० कालेज थाना-शास्त्रीनगर जिला-पटना सी.आरनं०-108624 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
10	राजदीप यादव पिता-कारी यादव ग्राम-पो०-खजरी थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा सी.आरनं०-9753 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
11	विजय कुमार सिंह पिता-स्व. भोला सिंह ग्राम-बेस्ट मलाही पो०+थाना-बाढ़ जिला-पटना सी.आरनं०-104408 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

31/04/15  
20/2/14

12	रामानन्द यादव पिता-स्व० कुलद्वीप यादव ग्राम-हसनपुर पो०-चेरकी थाना -मगध वि०वि० जिला-गया सी.आरनं०-1713 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	रेखा देवी पति-सतनजीव झा ग्राम-अलपुरा पो०-ताजपुर थाना-रुद्रपुर जिला-मधुबनी सी.आरनं०-137860 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	मो० साकीब पिता-जैयनुल रजक ग्राम-पीपरा पो०-अढवा थाना-वजीरगंज जिला-गया सी.आरनं०-8433 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15	चन्दा देवी पति-दिनेश सिंह ग्राम-बरुआ पो०-थाना-दीघवारा जिला-सारण, छपरा पंजी / ओ०पी०डी / 117554 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 10,000 / -(दस हजार) स्वीकृत।
16	बुन्ना खातुन पति-सगीर आलम ग्राम-पो०-नवादा थाना-बरौली जिला-गोपालगंज सी.आरनं०-9016 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	जनार्दन पंडित पिता-स्व. गोविन्द पंडित ग्राम+पो०-ओईयाब थाना-अस्थावां जिला नालंदा सी.आरनं०-9020 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	मीरा देवी पति-सीता राम सिंह ग्राम-माड़ीपुर कला पो०-नन्दपुर थाना-मांझी जिला-सारण सी.आरनं०-8061 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

19	मंजु देवी पति-सर्जन मंडल ग्राम-भुवालपुर पो-फतहपुर, थाना-नाथनगर जिला-भागलपुर सी.आरनं0-116937 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
20	अरुण कुमार पिता-स्व. दीप लाल भगत ग्राम-पो0-काशी पकड़ी थाना-राजेपुर जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-104002 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
21	भुलीया देवी पति-स्व. बलदेव यादव ग्राम-दरभंगीया टोला पो0-थाना-गलगलीया जिला-किशनगंज सी.आरनं0-4960 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
22	बादल कुमार पिता-मंदु गुप्ता ग्राम-पो0+थाना आलमनगर जिला-मधेपुरा सी.आरनं0-8163 / 16	किडनी पथरी रोग	₹ 35,000 /--(पैंतीस हजार) स्वीकृत।
23	राम विलास सिंह पिता-स्व. राम शरण सिंह ग्राम-पो0-महुयामा थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद सी.आरनं0-1238 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
24	राम लखन प्रसाद पिता-रामानन्द प्रसाद ग्राम-भजन बिगहा पो0-रेवा, थाना-मसौढ़ी जिला-पटना सी.आरनं0-160823 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
25	लक्ष्मण पासवान पिता-सीता राम पासवान ग्राम-डदुआ पो0-सुककी थाना-पातेपुर जिला-वैशाली सी.आरनं0-16180 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
26	नन्दनी देवी पति-सुधीर प्रसाद सिंह ग्राम+पो0-दीनाचकला थाना-पसराहा जिला-खगड़िया सी.आरनं0-4882 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।



27	संगीता चन्द्र पति-प्रवीण चन्द्र सिंह ग्राम-रतन टोला पो0+थाना-मनेर जिला-पटना सी.आरनं0-128937 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
28	मो. अमीन पिता-मो0 अनीस ग्राम-हवेली गली तकीयापर पो0-दीघा थाना-दानापुर जिला-पटना सी.आरनं0-2320 / 14	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
29	शबरा खातुन पति-मो0 अरमान ग्राम-पगहीया रैयती पो0-परसौनी कपुर थाना-कथैया जिला मुजफ्फरपुर सी.आर नं0-9940 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
30	अलीमा खातुन पति-स्व.मो0 शाहीद ग्राम+पो0-रतनपुरा थाना-अशोक पेपर मिल जिला-दरभंगा सी0आरनं0-6661 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
31	गदीया देवी पति-प्रयाग राम ग्राम-मंगरार पो0-दीग्धी थाना-लक्ष्मीपुर जिल-जमुई सी.आरनं0-161232 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
32	सोनी देवी पति-सुखन साह ग्राम-ललीया पो0-पीर नगर थाना-ग्वालपाड़ा जिला-मधेपुरा सी.आरनं0-11372 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
33	अर्जुन पासवान पिता-स्व. बिनो पासवान ग्राम-नरहरीपुर पो0-ताजपुर थाना-भगवानपुर जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-139443 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

34	नाजीम खॉ पिता-स्व. दलमीर खॉ ग्राम-पहाड़पुर पो0-सोनवर्षा थाना-तरीयानी जिला-शिवहर सी.आरनं0-14223 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
35	शिव नारायण साहु पिता-स्व. राम अवतार साहु ग्राम-समौरा पो0-इटहर थाना-कुशेश्वर स्थान, जिला-दरभंगा सीआरनं0-126072 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
36	प्रिंस कुमार पिता-अनुप कुमार ग्राम-सेल्हौरी पो0-बेल्हौरी थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना सी.आरनं0-9867 / 16	हृदय रोग	₹ 65,000 /-(पैंसठ हजार) स्वीकृत।
			₹ 21,25,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 21,25,000 /-(इकीस लाख पच्चीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509251 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **इलाहाबाद बैंक**, शाखा का नाम - **पटना**, RTGS/IFSC कोड सं0 **ALLA0212284** में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...579251.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 266 (14)

पटना, दिनांक - 26-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. अ. हिन्द.